

13.04.18

वकील अमी-घास्वयं अपीलान्त काई उपोस्थित
नही-है। शेषो-कर्मकायक उप-हैं। अमी-का
बार बार आवेजें दिलाई गई। अपीलान्त
की और से काई उपोस्थित नहीं-आया।
अतः अपील अपीलान्त अदम हाजरी व
अदम फेरवी में खारिज की जाती है। फेरवी
फैसल २५मार होकर बाद वकील जावता
दाखिल कर्तार है।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर